यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** के माह **04/2016** से माह **09/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव रावत, व.ले.प. द्वारा दिनांक **26.10.2020** से **03.11.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **03.09.2016** से **16.09.2016** तक श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2014** से **03/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2016** से **09/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा समस्त हरिद्वार जनपद तथा देहरादून जनपद के डोईवाला एवं रायपुर विकास खण्डों के निक्षेप कार्य संपादित कराये जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	0.000	1118.902	98.560	98.560	0.000	444.730	1064.542	499.090
2017-18	0.000	499.090	94.038	94.038	0.000	741.965	678.700	562.355
2018-19	0.000	562.355	12.393	12.393	0.000	560.915	693.561	429.709
2019-20	0.000	429.709	97.647	97.647	0.000	1426.892	893.286	963.315
2020-21 (Upto 09/2020)	0.000	963.315	48.154	48.154	0.000	680.540	703.623	940.232

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016-17			2017-18			2018-19		
	प्रारंभिक अवशेष	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्रारंभिक अवशेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्रारंभिक अवशेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**
प्रधानमंत्री जन विकास/ राष्ट्रीय स्वास्थय विकास मिशन	0.000	0.000	0.000	0.000	152.000	19.571	132.429	350.900	483.329
	2019-20			**2020-21 (Upto 09/2020)**					
	प्रारंभिक अवशेष	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्रारंभिक अवशेष**				**प्राप्ति**	**व्यय**
	0.000	515.602	166.868				348.734	259.776	264.156

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा समस्त हरिद्वार जनपद तथा देहरादून जनपद के डोईवाला एवं रायपुर विकास खण्डों के निक्षेप कार्य संपादित कराये जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता→महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता→परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता→परियोजना अभियन्ता/सहायक अभियन्ता→अपर परियोजना अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता→सहायक परियोजना अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा संपादित कराये गये निक्षेप कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **02/2020** एवं **05/2020 (व्यय)** तथा माह **03/2018** एवं **03/2017 (आय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई द्वारा संपादित कराये गये निक्षेप कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 1 : निर्माण कार्य मे प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष ` 14,338/- की रॉयल्टी एवं जिला न्यास निधि अंशदान की कटौती न किया जाना तथा अर्थदण्ड की धनराशि का ठेकेदार को वापस किया जाना।

निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल द्वारा **मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 131/2014 (खानपुर में कश्यप समाज हेतु बारातघर के निर्माण)** हेतु ` **103.61 लाख** की धनराशि कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश को निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई थी:-

क्र.सं.	ड्राफ्ट/चेक संख्या	अवमुक्त राशि (` लाख में)
01.	ड्राफ्ट संख्या 339351 दिनांक 10.11.2015	98.22
02.	चेक संख्या 336587 दिनांक 28.03.2018	5.39
	कुल	**103.61**

इकाई के लेखा-अभिलेखों एवं निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ` **80,99,991/-** की लागत से कराये जाने वाले उपरोक्त कार्य हेतु कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश द्वारा मै. यूनिक ट्रेडिंग इस्टेबलिशमेंट, 112, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून (ठेकेदार) के साथ अनुबन्ध[1] गठित किया गया था तथा पत्रांक संख्या 4527/निविदा/188 दिनांकित 12.09.2016 के द्वारा ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश के अनुसार उपरोक्त कार्य को चार माह[2] में पूर्ण किया जाना था।

निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि:-

(i) न तो ठेकेदार और न ही अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य का बीमा करवाया गया था जबकि अनुबन्ध के Section – IV General Conditions of Contract (G.C.C.) के प्रस्तर 17 के उपबिन्दु 17 के अनुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व ठेकेदार द्वारा बिन्दु संख्या 17.1 में वर्णित मदों के सापेक्ष Contract Data में वर्णित मूल्य के अनुसार बीमा कराकर अभियन्ता को उपलब्ध करवाया जाना था। अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 17.3 के अनुसार यदि निर्धारित अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा बीमा नहीं करवाया जाता है, तो उक्त बीमा अभियन्ता द्वारा कराया जाना था तथा भुगतान की गई प्रीमियम की धनराशि की ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान से कटौती की जानी थी।

[1] अनुबन्ध संख्या: 11/महाप्रबन्धक/2016-17 दिनांक 09.09.2016

[2] कार्य प्रारम्भ की तिथि: 15.09.2016 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि: 14.01.2017

(ii) निर्माण कार्य के अन्तिम बिल के अनुसार कार्य को दिनांक 08.04.2017 (84 दिनों की देरी के पश्चात) पूर्ण किया गया था जिस पर अनुबन्ध के Section – VII Contract Data के अनुसार `5000/- प्रतिदिन की दर से कुल `4,20,000/- (84 Days x `5000.00 Per day) अथवा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 36(ड़) के अनुसार कम से कम `40,500/- (0.5% of `80,99,991.00) की क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी थी जबकि महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा अपने ही अनुबन्ध के Contract Data तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 36(ड़) का उल्लंघन करते हुए मात्र `20,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था जिसे इकाई द्वारा बाद में बिना किसी कारण के निर्माण कार्य के रनिंग बिलों के सापेक्ष रोकी गई अन्य धनराशि `1,82,000/- के साथ-साथ चेक संख्या 28 दिनांक 07.08.2019 के द्वारा ठेकेदार को वापस कर दिया गया जबकि उक्त धनराशि को ठेकेदार को वापस नहीं किया जाना था।

(iii) निर्माण कार्य के प्रथम रनिंग बिल के अनुसार उपरोक्त कार्य में 74.48 घन मीटर उपखनिजों (बालू तथा बजरी) का प्रयोग किया गया था जिसके सापेक्ष ठेकेदार द्वारा कोई भी बिल अथवा रवन्ना इकाई को उपलब्ध नहीं करवाया गया था। उपरोक्त रनिंग बिल से उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार `154 प्रति घन मीटर की दर से `11,470/- की रॉयल्टी तथा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार `2,868/- (रॉयल्टी का 25% प्रतिशत ) के जिला न्यास निधि अंशदान; इस प्रकार कुल `14,338/- की कटौती नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने बिन्दुवार अपने उत्तर में बताया कि:-

(i) ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य का बीमा नहीं कराया गया था तथा इकाई द्वारा भूलवश उक्त कार्य का बीमा नहीं कराया जा सका। भविष्य में आगामी कार्यों में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) ठेकेदार के ऊपर अर्थदण्ड लगाए जाने के संबंध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि इकाई द्वारा अर्थदण्ड लगाने की संस्तुति नहीं की गई थी परन्तु महाप्रबन्धक महोदय द्वारा समय वृद्धि के साथ `20,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था जिसे त्रुटिवश ठेकेदार की रोकी गई अन्य धनराशि `1,82,000/- के साथ-साथ अर्थदण्ड का भी भुगतान कर दिया गया था। अतः ठेकेदार से अर्थदण्ड की धनराशि वसूल ली जायेगी।

(iii) रॉयल्टी तथा जिला न्यास निधि अंशदान के सम्बंध में इकाई ने बताया कि ठेकेदार से रॉयल्टी `11,470/- तथा जिला न्यास निधि अंशदान `2,868/-; इस प्रकार कुल `14,338/- को वसूल कर राजकोष/बैंक खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि ना तो ठेकेदार और ना ही इकाई द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य का बीमा करवाया गया था जिसके कारण संबन्धित कार्य को जोखिम पर रखा गया था।

नियमानुसार ठेकेदार के बिलों से रॉयल्टी एवं जिला न्यास निधि अंशदान की कटौती न किए जाने के कारण शासन को समय पर राजस्व उपलब्ध नहीं हो पाया। ठेकेदार को अर्थदण्ड की धनराशि वापस लौटाए जाने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर 2 : निक्षेप कार्य पर जमा निक्षेप से अधिक रुपये 35.868 लाख का अनियमित व्यय।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर-580 के प्रावधान अनुसार किसी निक्षेप कार्य का परिव्यय प्राप्त निक्षेप राशि की सीमा तक सीमित रखा जाना होता है और यदि कुछ व्ययाधिक हो भी जाता है तो उसे लेखों में विविध प्रकीर्ण अग्रिम (Misc. P.W. Advances) के रूप में लम्बित वसूली के रूप में दर्शाया जाता है।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (माह – 10/2020) में पाया गया था कि इकाई द्वारा कुल - 11 निर्माणाधीन निक्षेप कार्यों (अनुलग्नक – I) पर शासन/ ग्राहक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निक्षेप राशि से 35.868 लाख का अधिक व्यय किया गया था। इस प्रकार इकाई द्वारा उक्त कार्यों पर रुपये 35.868 लाख का ऋणात्मक व्यय/व्ययाधिक्य किया गया था जिसके लिए इकाई द्वारा ग्राहक विभाग के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण अग्रिम तक नहीं डाला गया था।

अनियमित व्यय के इस प्रकरण को इंगित किए जाने पर इकाई कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था कि शासन से शेष स्वीकृत धनराशि की अवमुक्ति की प्रत्याशा में कार्यों का सम्पादन कराया गया एवं देनदारियाँ अवशेष है। यह भी कि शेष धनराशि की अवमुक्ति हेतु प्रयास किए जा रहे है। इकाई का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः कार्यों पर निक्षेप जमा से अधिक किए गए अनियमित व्यय रुपये 35.868 लाख की वसूली/समायोजन हेतु यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

अनुलग्नक – I

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	वर्तमान तक कार्य पर व्यय	व्ययाधिक्य
1	ब्लॉक हेडक्वाटर नारसन, जनपद हरिद्वार में सद्भाव मण्डप (बारातघर) का निर्माण कार्य।	45.86	24.285	27.810	-3.525
2	ग्राम नगला खिताब ब्लॉक लक्सर, जनपद हरिद्वार में सद्भाव मण्डप (बारातघर) का निर्माण कार्य।	45.86	24.285	24.342	-0.057
3	ग्राम पीरपुरा, ब्लॉक नारसन में प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य।	70.95	37.570	37.859	-0.289
4	ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी, हरिद्वार का सुदृढ़ीकरण कार्य।	72.460	65.000	65.090	-0.09
5	पशु चिकित्सालय, बेलड़ी, जनपद हरिद्वार का मरम्मत कार्य।	8.650	8.330	8.426	-0.096
6	सिडकुल, रोशनाबाद हरिद्वार के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य। (2018–19)	135.300	125.035	130.379	-5.344
7	सिडकुल, बहादराबाद हरिद्वार के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य। (2018–19)	27.820	22.075	22.403	-0.328
8	जिला कार्यालय कमाडेण्ट होमगार्डस कार्यालय हेतु रोशनाबाद, जनपद हरिद्वार में अनावासीय भवन का निर्माण कार्य।	214.280	86.000	88.711	-2.711
9	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत महाकुम्भ मेला–2021 हेतु इण्डस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी हरिद्वार में कार्यालय, ट्रांजिट हास्टल एवं बैरक मय मेस का निर्माण कार्य।	246.680	99.000	102.113	-3.113
10	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत महाकुम्भ मेला–2021 हेतु ए0टी0सी0 कैम्पस में 50 व्यक्तियों की क्षमता वाली एन0जी0ओ0 मेस एवं ट्रांज़िट हॉस्टल का निर्माण कार्य।	279.120	112.000	117.325	-5.325
11	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत महाकुम्भ मेला–2021 हेतु 40वीं वाहिनी पी0ए0सी0 एवं सी0पी0एम0एफ0 हेतु 50 व्यक्तियों की क्षमता वाली एन0जी0ओ0 मेस एवं ट्रांज़िट हॉस्टल का निर्माण कार्य।	271.590	109.000	123.990	-14.99
	कुल		**712.58**	**748.448**	**-35.868**

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर: (3) - अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹ 57,782 का कम भुगतान।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ऋषिकेश में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान एवं उस पर मिलने वाले ब्याज की हानि हो रही है।
उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल दो कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखपरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त दोनों कार्मिकों को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (09/2020) **कुल धनराशि ₹57,782/- का कम अंशदान किया गया।** (संलग्नक 1)

उक्त दोनों कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: <u>अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम अंशदान धनराशि ₹ 57,782</u> का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Name of Employee- दीपक नौटियाल/परियोजना प्रबन्धक (`)

DA%	Months	Basic Pay	DA	Total Pay	4% of total pay
9%	Apr-19	0	0	0	0
	May-19	0	0	0	0
	Jun-19	0	0	0	0
	Jul-19	0	0	0	0
	Aug-19	0	0	0	0
12%	Sep-19	0	0	0	0
	Oct-19	0	0	0	0
17%	Nov-19	0	0	0	0
	Dec-19	80900	13753	94653	3786.12
	Jan-20	80900	13753	94653	3786.12
	Feb-20	80900	13753	94653	3786.12
	Mar-20	80900	13753	94653	3786.12
	Apr-20	80900	13753	94653	3786.12
	May-20	80900	13753	94653	3786.12
	Jun-20	80900	13753	94653	3786.12
	Jul-20	83300	14161	97461	3898.44
	Aug-20	83300	14161	97461	3898.44
	Sep-20	83300	14161	97461	3898.44
	Total Amount of less Payment				38198.16

Name of Employee- दीपक पन्त/वरिष्ठ सहायक (`)

DA%	Months	Basic Pay	DA	Total Pay	4% of total pay
9%	Apr-19	0	0	0	0
	May-19	0	0	0	0
	Jun-19	0	0	0	0
	Jul-19	27600	2484	30084	1203.36
	Aug-19	27600	2484	30084	1203.36
12%	Sep-19	27600	3312	30912	1236.48
	Oct-19	27600	3312	30912	1236.48
17%	Nov-19	27600	4692	32292	1291.68
	Dec-19	27600	4692	32292	1291.68
	Jan-20	28400	4828	33228	1329.12
	Feb-20	28400	4828	33228	1329.12
	Mar-20	28400	4828	33228	1329.12
	Apr-20	28400	4828	33228	1329.12
	May-20	28400	4828	33228	1329.12

	Jun-20	28400	4828	33228	1329.12
	Jul-20	28400	4828	33228	1329.12
	Aug-20	30100	5117	35217	1408.68
	Sep-20	30100	5117	35217	1408.68
	Total Amount of less Payment				19584.24

भाग II-'ब'

प्रस्तर 4 : ठेकेदारों के बिलों से ` 1,87,013/- की रॉयल्टी/जिला न्यास निधि अंशदान की कटौती कर राजकोष/बैंक खाते में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार हरिद्वार क्षेत्रांतर्गत `154 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष (0853) में जमा कराई जानी चाहिए तथा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जिला स्तर पर खोले गये जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बैंक खाते में जमा कराई जानी चाहिए।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई के अभियन्ता द्वारा संलग्नक में लिखित सरकारी निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए गये उपखनिजों (बालू तथा बजरी) के सापेक्ष Materiel Consumption Statements बनाये गए थे। ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष कोई भी बिल अथवा रवन्ने इकाई को प्रस्तुत नहीं किए गये थे। ठेकेदारों द्वारा ऐसे कोई अन्य अभिलेख भी इकाई को उपलब्ध नहीं करवाये गये थे जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी/जिला न्यास अंशदान की धनराशि राजकोष/बैंक में जमा करवाई जा चुकी थी।

इकाई द्वारा भुगतान के समय संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से `**1,44,947**/- की रॉयल्टी तथा `**42,066**/- (रॉयल्टी का 25% प्रतिशत) के जिला न्यास निधि अंशदान; इस प्रकार कुल `**1,87,013**/- की कटौती करके राजकोष/बैंक खाते में जमा कराई जानी थी परन्तु इकाई द्वारा ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी एवं जिला न्यास निधि अंशदान की कोई भी कटौती नहीं की गई जिसके कारण शासन को कुल `**1,87,013**/- के राजस्व की हानि हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदारों द्वारा यह हलफनामा दिया गया था कि तृतीय पक्ष द्वारा रॉयल्टी जमा की गई थी इसलिए उनके देयकों से रॉयल्टी तथा जिला न्यास निधि अंशदान की कटौती नहीं की गई थी। इकाई द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ठेकेदारों द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख इकाई को उपलब्ध नहीं कराया गया था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा रॉयल्टी जमा की गई थी।

इकाई ने आगे बताया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण जिला न्यास निधि अंशदान की कटौती नहीं की गई थी। इस सम्बंध में शीघ्र ही संबन्धित ठेकेदारों से पत्राचार किया जायेगा तथा रॉयल्टी एवं जिला

न्यास निधि अंशदान की धनराशि `**1,87,013/-** को वसूलकर राजकोष/बैंक खाते में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा दिये गए हलफनामे के आधार पर रॉयल्टी की कटौती न किया जाना नियमों के विपरीत था जबकि ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी जमा किए जाने के सम्बंध में कोई भी साक्ष्य इकाई को उपलब्ध नहीं करवाए गये थे। ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी/जिला न्यास निधि अंशदान की कटौती न किए जाने के कारण शासन को राजस्व की हानि हुई थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 5 : अपूर्ण व अनियमित कार्य निष्पादन

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-298/2014 के अंतर्गत खेल विभाग द्वारा पूर्णानन्द इण्टर कॉलेज, मुनिकीरेती में स्टेडियम का निर्माण किया जाना था जिस के कार्यान्वयन हेतु उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को नामित करते हुए शासन द्वारा संबन्धित आगणन ` 211.80 लाख के सापेक्ष ` 203.23 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। शासन द्वारा प्रथम किश्त के रूप में ` 66.67 लाख दिसम्बर 2016 मे तथा शेष धनराशि ` 136.56 लाख दूसरी किश्त के रूप मे दिसम्बर 2018 मे अवमुक्त की गई। **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2020)** के दौरान संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन मे निम्नवर्णित अनियमितताएँ पाईं गईं:

- विस्तृत आगणन में स्वीकृत कार्य मदों के निष्पादन हेतु एक साथ अनुबंध गठित किए जाने के बजाय मार्च 2017 में एक अनुबंध तथा दो वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2019 में दूसरा अनुबंध गठित किया जिन का विवरण अभिलेखों में निम्नवत पाया गया:

अनुबंध संख्या	ठेकेदार का नाम	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण किए जाने की निर्धारित तिथि	अनुबंध के सापेक्ष भुगतान
08/परि०प्र०/16-17	मै० ओम एसोसिएट्स , ऋषिकेश	49.13 लाख	31.03.2017	30.06.2017	51.55 लाख
22/परि०प्र०/18-19		71.10 लाख	09.03.2019	08.09.2019	74.53 लाख

वर्णित कार्य ` 203.23 लाख हेतु स्वीकृत होने के फलस्वरूप पूरे कार्य के सम्पादन हेतु ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाते हुए एक साथ अनुबंध गठित किया जाना चाहिए था। ऐसा न किए जाने के कारण जल निगम की नियमावली के अंतर्गत 150.00 लाख से अधिक के कार्य हेतु ई-टेंडरिंग का माध्यम अपनाए जाने संबंधी नियमों की अनदेखी की गई।

- वर्णित निक्षेप कार्य से संबन्धित विस्तृत आगणन के अंतर्गत कार्यालय भवन व चैंजिंग ब्लॉक का निर्माण किया जाना था। अभिलेखों के अवलोकन में आगणित मदों के सापेक्ष उपरोक्त

वर्णित ` 71.10 लाख से संबन्धित अनुबंध में कार्य मदों की मात्रा में आवश्यकता से अधिक भिन्नता पाई गई। आगणन व अनुबंध में कार्य मदों की मात्रा में भिन्नता से स्पष्ट था कि

स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त भी अन्य कार्य निष्पादित किए जाने थे। संबन्धित देयकों के अवलोकन में पाया गया कि 23 कार्य मदों के निष्पादन में आवश्यकता से काफी अधिक विचलन हुआ था तथा कई कार्य मदे आगणन में स्वीकृत मात्रा के सापेक्ष तीन गुणा अधिक निष्पादित की गईं थी **(संलग्नक 1)**। इस के अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत कार्य पूर्ण दर्शाने तथा अनुबंध का अंतमीकरण किए जाने हेतु अनुबंध में शामिल 38 कार्य मदे निष्पादित ही नहीं की गई थी **(संलग्नक 2)**।

- वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड 06) के नियम 378 के अनुसार कोई भी कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जबतक कि कार्यस्थल से संबन्धित भूमि विधिवत रूप से संबन्धित सिविल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध न कराई गई हो।

अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि कार्य स्थल की भूमि पर कई वर्षों से अनाम व्यक्ति द्वारा शेड का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था जिस पर लकड़ी का व्यवसाय किया जा रहा था। इस के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा भी कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री रखी गई थी। इस प्रकार कार्य स्थल की भूमि पर विवाद होने के बावजूद इकाई द्वारा संबन्धित भूमि विधिवत रूप से ग्राहक विभाग से प्राप्त किए बिना निर्माण प्रारम्भ किया गया जिस के कारण खेल के मैदान को विकसित करने व अवरूद्ध चारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण करने में इकाई विफल रही। अवैध कब्जा लेखापरीक्षा सम्पादन के समय तक बना हुआ था तथा मैदान को विकसित करने, चारदीवारी का कार्य पूर्ण करने के अतिरिक्त विध्युतीकरण का कार्य व अन्य कई कार्य मदे निष्पादित होनी शेष थी जिस कारण संबन्धित खाते में अवमुक्त धनराशि ` 203.23 लाख में से 23.76 लाख खाते में अवशेष थी ।

उपरोक्त अनियमितताओं से स्पष्ट था कि आगणन मात्र धनराशि की स्वीकृति हेतु गठित किया गया जो एक औपचारिकता थी परंतु कार्य निष्पादन में अनियमितता बरती गई तथा नियमों की अनदेखी की गई।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तर में स्वीकार किया गया कि ग्राहक विभाग द्वारा कार्य स्थल से अतिक्रमण को हटाने हेतु चारदीवारी कराए जाने की आवश्यकता बताई गई तथा यह आश्वासन दिया कि भविष्य में नियमों का अनुपालन किया जाएगा। परियोजना प्रबन्धक द्वारा आगे बताया गया कि ग्राहक विभाग से डाइनिंग हॉल व

अन्य कई कार्यों हेतु एक अलग ब्लॉक के निर्माण के निर्देश प्राप्त हुए जिस के कारण कार्य मदों में विचलन हुआ।

विवादित भूमि पर कार्य प्रारम्भ करने व अपूर्ण कार्य निष्पादन के बावजूद कार्य ग्राहक विभाग को हस्तगत किए जाने के संबंध में आपत्तियों को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि विवाद शीघ्र सुलझाने हेतु प्रयास जारी हैं तथा अवशेष धनराशि से अपूर्ण कार्य मदों के अंतर्गत कार्य निष्पादित कराया जाएगा।

अतः अनुबंध संख्या 22/परि॰प्र॰/18-19 के अंतर्गत ` 74.53 लाख के भुगतान के बावजूद अपूर्ण व अनियमित कार्य निष्पादन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग – II (ब)

प्रस्तर 6 : ` 116.14 लाख लागत के कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जाना तथा ` 1.88 लाख का अधिक व्यय किया जाना।

जनपद-हरिद्वार के अंतर्गत भगवानपुर में बहुउद्देशीय क्रीडाहॉल के निर्माण कार्य" हेतु रुपये 116.14 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च 2016 में प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य दिनाँक – 03.12.2016 को प्रारम्भ कर दिनाँक – 03.03.2019 को रुपये 1.16 करोड़ के व्यय उपरान्त पूर्ण किया जा चुका था।

I - उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली, 2008 के **अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत**(बिन्दु-3) के बिन्दु 10 के अनुसार "*निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाये। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा*"।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली, 2008 के अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत के अनुपालन में विभाग द्वारा उपरोक्त कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए था तथा सम्पूर्ण कार्य के सम्पादन हेतु एक ही निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी।

परंतु कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के अभिलेखों की जाँच (माह-10/2020) में पाया गया था कि इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के विपरीत उक्त कार्य को 04 भागों[3] में विभाजित कर निविदाएँ आमंत्रित की गयी थी जोकि अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु ग्राहक विभाग द्वारा धनराशि छोटी-छोटी किश्तों में जारी किए जाने के कारण केवल तत्समय प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ही अनुबंधों का गठन कर कार्य को संपादित किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है एवं स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

3

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	अनुबंधित धनराशि (रुपये लाख में)	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि
1	05/PM/2016-17	48.81	Sh Rakesh Kumar	03.12.2016	02.06.2017
2	05/PM/2017-18	24.58	Sh Rakesh Kumar	28.11.2017	27.02.2018
3	01/PM/2018-19	9.67	Sh Rakesh Kumar	25.05.2018	10.07.2018
4	15/PM/2018-19	8.07	M/s Lakshya Pal S&C	19.01.2019	03.03.2019

II - उपरोक्त कार्य के प्राक्कलन के अनुसार, निर्मित बहुउद्देशीय क्रीडाहॉल में प्रथम तल पर जूडो कोर्ट हेतु 71.60 वर्ग मीटर (7.810m x 8.540m) Sports Flooring[4] का प्रविधान किया गया था। कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के अभिलेखों की जाँच (माह-10/2020) में पाया गया था कि उक्त मद के सम्पादन हेतु इकाई द्वारा ठेकेदार "श्री राकेश कुमार" के साथ रुपये 24.58 लाख का अनुबंध संख्या - 05/PM/2017-18 गठित किया गया था जिसके अनुसार ठेकेदार द्वारा उक्त मद के सापेक्ष रुपये 3210 प्रति वर्ग मीटर की दर से 67.00 वर्ग मीटर कार्य संपादित किया जाना था। परंतु उक्त अनुबंध के द्वितीय एवं अंतिम देयक की जाँच में पाया गया था कि ठेकेदार द्वारा उक्त मद के सापेक्ष कोई भी कार्य संपादित नहीं किया गया था।आगे जाँच में पाया गया कि उक्त मद (Sports Flooring) के सम्पादन हेतु इकाई द्वारा ठेकेदार "श्री राकेश कुमार" के साथ रुपये 9.67 लाख (सभी मदों सहित) का एक अन्य अनुबंध संख्या - 01/PM/2018-19 गठित किया गया था जिसके अनुसार ठेकेदार द्वारा उक्त मद के सापेक्ष रुपये 5800.00 एवं रुपये 4270.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 80.00[5] वर्ग मीटर कार्य संपादित किया जाना था। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार ही कार्य संपादित किया गया था जिसके सापेक्ष खंड द्वारा ठेकेदार को 4.028 लाख का भुगतान किया गया था।

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट था कि विभाग द्वारा अनुबंध संख्या - 05/PM/2017-18 के अंतर्गत कार्य को संपादित न कर अनुबंध संख्या - 01/PM/2018-19 के सापेक्ष संपादित कराते हुए रुपये 1.88 लाख[6] का अधिक व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि ग्राहक विभाग द्वारा उक्त मद के सापेक्ष उच्च विशिष्टियों का कार्य संपादित करने का अनुरोध किया गया था जोकि अनुबंध संख्या - 05/PM/2017-18 की निर्धारित दरों पर संपादित कराया जाना संभव नहीं था। अत: उक्त कार्य को उच्च विशिष्टियों के अनुसार अनुबंध संख्या - 01/PM/2018-19 के अंतर्गत संपादित कराया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्राहक विभाग द्वारा उक्त मद के सापेक्ष उच्च विशिष्टियों का कार्य संपादित करवाये जाने का अनुरोध करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

अत: विभाग द्वारा ` 116.14 लाख लागत के कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किए जाने तथा ` 1.88 लाख का अधिक व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[4] Providing & Fixing, commissioning & Testing of synthetic 8 layers sports flooring including levelling base with cementors material.

[5] (8 layers – 40 sqm x Rs 5800 = 232000.00) & (6 layers – 40 sqm x Rs 4270 = 170800.00)= 402800.00

[6] अधिक व्यय = 402800- (3210 x 67) = 187730.00 या रूपये 1.88 लाख

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
14/2007-18	01	शून्य	शून्य
44/2014-15	01	शून्य	शून्य
64/2016-17	शून्य	01, 02 एवं 03	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिसके कारण विगत अनिस्तारित समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाये)

----------शून्य----------

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	ई. अनुपम रतन	परियोजना प्रबन्धक	02.08.2014 से 19.12.2019 तक
02.	ई. दीपक नौटियाल	परियोजना प्रबन्धक	19.12.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, शैल विहार, निकट भारत भूमि टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट रोड, हरिद्वार बाईपास रोड, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/08 दिनांकित 05.11.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल संख्या-05